व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण/
अति आवश्यक/तत्काल निर्गत/फैक्स।

डीजीपी.अ0शा0.परिपत्र सं0: 15 / 2016.(हर्ष.फायरिंग)

जावीद अहमद
भा0पु0से0(IPS)

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ-226001

दिनांक: मार्च, 06, 2016

प्रिय महोदय,

कृपया आप इस मुख्यालय के डीजीपी परिपत्र संख्याः 20/2004 दिनांकः सितम्बर, 05, 2004/परिपत्र संख्याः डीजी–18/2006 दिनांकः जून, 08, 2006/परिपत्र संख्याः डीजी–26/08 दिनांकः मार्च, 03, 2008(टास्क आर्डर संख्याः–17/2008), डीजी. परिपत्र.सं0: 59/2015 दि0: अगस्त, 07, 2015 एवं अ0शा0परिपत्र संख्याः डीजी–आठ–246 (11)/2012 दिनांकः अप्रैल, 23, 2012, शासनादेश संख्याः 3402/आर/छः–पु0–5–01 (15)/2001 दिनांकः 19–05–2001 एवं शासनादेश संख्याः 3017–आर–छः–पु0–5–99 दिनांकः 15, मई, 1999 एवं शासनादेश संख्याः 1052–आर–छः–पु–5–01(15)/ 2001 दिनांकः 18–02–2010 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो हर्ष फायरिंग के संबंध में है।

2 उपरोक्त परिपत्रों/शासनादेशों एवं मा0 न्यायालयों से जारी किए गए आदेशों को निर्गत करने के उपरान्त भी हर्ष फायरिंग की कुछ ऐसी घटनायें प्रकाश में आई हैं, जिससे यह परिलक्षित होता है कि उपरोक्त परिपत्रों/ शासनादेशों एवं मा0 न्यायालयों से जारी किए गए आदेशों का आपके द्वारा कड़ाई के साथ अनुपालन नहीं कराया जा रहा है तथा इस संबंध में कोई प्रभावी नियंत्रण/कार्यवाही नहीं की जा रही है, जो अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है।

3 ऐसी अनचाही घटनाओं को रोकने के लिए आपके द्वारा कड़े कदम उठाने चाहिए, हर्ष फायरिग की घटनाओं पर नियन्त्रण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, जो व्यक्ति अपने लाइसेंसी शस्त्र का उपयोग अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य से दुरूपयोग करते हुए पाया जाये, तो उसके विरूद्ध शस्त्र लाइसेन्स की शर्त के उल्लंघन के आरोप में तथा आयुध अधिनियम 1959 की धाराः 17 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, क्योंकि लाइसेंसी शस्त्रों का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य किसी भी कारण से, जिससे जनता में भय व्याप्त होता हो तथा शान्ति भंग होती हो, नहीं किया जा सकता है, आयुध अधिनियम 1959 के अर्न्तगत इस संबंध में आयुध नियम, 1962 के Schedule-III के Form-III में लाइसेंस के संबंध में शर्तो का प्राविधान किया गया है। इन शर्तो के संबंध में प्रस्तर–5 में निम्न व्यवस्था हैः–

"The licensee or any retainer acting under this license shall not carry any arms covered thereby otherwise than in good faith for the purpose of sport/protection/display; and, save where he is specially authorized in this behalf by the District Magistrate concerned, he shall not take any such arms

to a fair, religious procession or other public Assemblage, (or within the campus or precincts of any educational institution)"

लाइसेंसधारियों द्वारा यदि उपर्युक्त शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो आयुध अधिनियम–1959 की धारा 17(3)(बी) तथा धारा 17(3)(डी) के अर्न्तगत लाइसेंसधारी के लाइसेंस को निलंबित/निरस्त किये जाने की व्यवस्था है। उपर्युक्त Schedule-III के Form-III के प्रस्तर 14(ए) में यह भी अंकित किया गया है कि कोई भी लाइसेंसधारी यदि लाइसेंस में दी गयी शर्तो का उल्लंघन करता है तो उसे कारावास/जुर्माना अथवा दोनों प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। इस संबंध में आयुध अधिनियम की धाराः 30 में स्पष्ट प्राविधान है।

4 हर्ष फायरिंग के संबंध में विशेषतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर कड़ाई के साथ कार्यवाही किए जाने के संबंध में आप भी अपने स्तर से समस्त SHO/SO को आवश्यक आदेश/निर्देश जारी करें साथ ही साथ प्रत्येक माह मासिक समीक्षा गोष्ठी में हर्ष फायरिंग के संबंध में भी अनिवार्य रूप से चर्चा की जाये।

क– शादी–विवाह में बन्दूकों से हवाई फायरिंग एवं शौकिया फायरिंग की संभावना के सम्बन्ध में पूर्व जानकारी होने पर वहां समुचित पुलिस प्रबन्ध कर व्यवस्था की जाये।

ख– जहां पर शादी–विवाह में अस्त्र–शस्त्र के गलत प्रयोग की सूचना मिले वहां शस्त्र अधिनियम की धारा – 17 के अर्न्तगत शस्त्र लाईसेंस निरस्तीकरण संबंधी कार्यवाही की जाये।

ग– इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट से विचार–विमर्श कर धाराः 144 दंप्रसं (सी0आर0पी0सी0) के अन्तर्गत शस्त्रों के दुरूपयोग को प्रतिबन्धित करने के संबंध में आवश्यक व्यवस्था की जाये।

घ– ऐसे मौकों पर शस्त्रों के गलत प्रयोग से होने वाली दुर्घटनाओं तथा अपराधिक घटनाओं में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

ड.– शादी–विवाह के मौकों पर शस्त्रों के गलत प्रयोग/प्रदर्शन/हवाई फायरिंग आदि को रोकने के लिए जन–प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये।

च– शस्त्रों से हवाई फायरिंग शस्त्र अधिनियम का उल्लंघन है और अपराधिक कृत्य है। इस बात का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये, ताकि ऐसी गतिविधियॉ स्वतः रोकने में सहायता मिल सके।

छ– हर्ष फायरिंग संबंधी घटना में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो धारा–304 भादवि का अभियोग भी पंजीकृत किया जाये।

आप सभी उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों, परिपत्रों, मा0 न्यायालयों के आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें, जिससे शादी विवाह, बारात आदि में, पर्व–त्योहार, सामाजिक कार्यक्रमों, सार्वजनिक कार्यक्रमों, मेला एवं खुशी के अवसरों पर, जन्मदिन, आदि ऐसे अवसरों पर लाइसेंसधारी व्यक्तियों द्वारा लाइसेंसी शस्त्रों के दुरूपयोग को रोका जा सके।

आप सभी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि भारतीय दण्ड संहिता एवं आयुध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराये तथा अपराध का अल्पीकरण न करें।

ऐसे अवसरों पर लाइसेंसी शस्त्रों से की गयी हर्ष फायरिंग की घटना/अपराध होने पर समस्त SHO/SO उत्तरदायी होंगे। ऐसी किसी भी घटना का संज्ञान लेकर जनपदीय पुलिस प्रभारी संबंधित SHO/SO के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त कराने हेतु संबंधित क्षेत्राधिकारी भी उत्तरदायी होंगे। क्षेत्राधिकारी ऐसी घटना के 03 दिवस के भीतर प्रत्येक दशा में थाने से आख्या प्राप्त कर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे तथा इसकी व्यक्तिगत पैरवी कर इसे घटना से 01 माह की अवधि के भीतर ही निरस्त कराना एवं शस्त्रों को जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।

ऐसी घटनाओं का अनुश्रवण प्रत्येक माह परिक्षेत्रीय एवं जोनल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाये कि ऐसी घटनाओं में प्रयुक्त कितने लाइसेंसी शस्त्र निलम्बित/निरस्त कराये गये तथा कितने मामले लम्बित है एवं थानाध्यक्ष के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी या नहीं।

निर्देशों का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित कराया जाये।

मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ द्वारा क्रिमिनल अपील संख्याः 208/16 परशुराम कोरी बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में सुनवाई करने के पश्चात दिनांकः 23–02–2016 को आदेश पारित किया है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत हैंः–

"It appears that Authorities have been conveniently ignoring the injunction issued by this Court. Owners of marriage homes, hotels, guest houses, village pradhan and police officers need to be reminded again regarding order passed by this Court, In every case of death or injury by fire arm, police has to intervene whether written complaint is filed or not. Escalation of trend has to be arrested.

In these circumstances, Principal Secretary, Govt. of U.P. and D.G.P. are directed to ensure that proper safeguards. Contained in the order and Circulars issued by Government and D.G.P., are followed in every case where death or injury is caused and Police registers the case whether 'Tehareer' is given or not."

आप सभी को पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेशों/ परिपत्रों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उन सभी का अनुपालन कड़ाई के साथ सुनिश्चित करायें तथा तहरीर की प्रतीक्षा किए बिना हर्ष फायरिंग में मृत्यु होने या चोट कारित होने के मामलों में **F.I.R.** पंजीकृत करें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि संबंधित SHO/SO अपने क्षेत्र में आने वाले सभी विवाह स्थल, होटल, अतिथिगृह के मालिकों के साथ समय समय पर बैठक कर उन्हें हर्ष फायरिंग के संबंध में शासनादेशों/ परिपत्रों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की जानकारी दें।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि विवाह स्थल, विवाह घर, होटल, अतिथिगृह द्वारा शासनादेशों/परिपत्रों एवं मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो इन सभी के लाइसेंस भी निरस्त कराने की संस्तुति अधिकृत प्राधिकारी को भेजकर लाइसेंस निरस्त करायं।

मा0 न्यायालय के आदेशों, शासनादेशों, परिपत्रों का हर्ष फायरिंग के मामलों में कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराना पुलिस विभाग का प्रमुख दायित्व है।

अतः भविष्य में यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आता है , जिससे स्पष्ट हो कि हर्ष फायरिंग को रोके जाने में किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने लापरवाही की है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

16.3.16.

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, *जनपद* प्रभारी
उत्तर प्रदेश। **(नाम से)**

प्रतिलिपि– निम्नलिखित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराये जाने हेतु प्रेषितः–

1– पुलिस महानिदेशक, सी0बी0सी0आई0डी0, उ0प्र0, लखनऊ।
2– पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
3– पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4– अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
5– पुलिस महानिरीक्षक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
6– पुलिस महानिरीक्षक, लो0शि0, उ0प्र0, लखनऊ।
7– मुख्यालय पुलिस महानिदेशक के वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी।
8– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश।
9– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
10– मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ के, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं समस्त अनुभाग अधिकारियों को।